

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नौसा

<p>तारीख दुपम</p>	<p>दिनांक 18/12/23 प्रा.पत्र स्थानांतरण दुपम या कार्यवाही मय इतिहास पर नजर उनका - का.सू.रा.प. अत्यु. न.ना.प. श्री रमेश कुमार</p>	<p>संख्या व तारीख प्रदोषण की तिथि दुपम की तारीख में तारीख</p>
<p>1-12-23</p>	<p>अत्र फौजदारी अधिकारी महोदय राज कार्य में व्यस्त/अपस्थित पर होने से एक आदेश की फातना में पत्रावली दिनांक 22-12-23 को पेश हो।</p>	
<p>22-12-23</p>	<p>अत्र फौजदारी अधिकारी महोदय राज कार्य में व्यस्त/अपस्थित पर होने से एक आदेश की फातना में पत्रावली दिनांक 12-1-24 को पेश हो।</p>	
<p>12-1-24</p>	<p>अत्र फौजदारी अधिकारी महोदय राज कार्य में व्यस्त/अपस्थित पर होने से एक आदेश की फातना में पत्रावली दिनांक 19-1-24 को पेश हो।</p>	
<p>19-1-24</p>	<p>अत्र फौजदारी अधिकारी महोदय राज कार्य में व्यस्त/अपस्थित पर होने से एक आदेश की फातना में पत्रावली दिनांक 24-1-24 को पेश हो।</p>	
<p>24-1-24</p>	<p>अत्र फौजदारी अधिकारी महोदय राज कार्य में व्यस्त/अपस्थित पर होने से एक आदेश की फातना में पत्रावली दिनांक 31-1-24 को पेश हो।</p>	
<p>31-1-24</p>	<p>आधिबन्ता प्रार्थीगण उपस्थित। आधिबन्ता आपत्ती सं 2 व 3 उपस्थित। आधिबन्ता आपत्ती सं 2 व 3 द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरमौर श्री रमेश कुमार मीना का स्थानांतरण हो चुका है ऐसे स्थिति में प्रार्थीगण पर स्थानांतरण का आगे चलाने जाने का औचित्य नहीं है आधिबन्ता प्रार्थीगण द्वारा आधिबन्ता आपत्ती सं 2 व 3 के उक्त कथन से सहमत होना जाहिर किया गया।</p>	



रमेश कुमार  
न (रमेश कुमार)  
अति. जिला कलेक्टर  
नौसा

दिनांक

मुकाम

पता

दिनांक

नं.

दिनांक

पृष्ठ

हुकम या कार्यवाही मया इतिहास

दिनांक

पृष्ठ

पृष्ठ

पृष्ठ

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उपस्थित अधिकारतागत दस्तावेजों के मध्य परमन किया गया। विचारणीय प्रार्थना पत्र स्थानांतरण श्री रामेश कुमार मीना पीठारी अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिमरन के विरुद्ध पेश किया गया है। जिनका स्थानांतरण दो युक्त है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है प्रार्थना पत्र स्थानांतरण इसी स्तर पर खारिज किया जाने योग्य है।

आह: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिमरन में विचारणीय प्रार्थना पत्र 25/1/2022 द्वारा खोटेदारी उद्घोषणा एवं स्याही निषेधाज्ञा एवं प्रकरण सं 163/2022 प्रार्थना पत्र आस्था निषेधाज्ञा उनवानी कालूराम डाडिवनाम राजकुमार आदि के अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थना पत्र कालूराम पुत्र चन्दर जीना वगैर निवासी रामेश तदसीन सिमरन द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है निवेदन की जाते अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिमरन का विषय है जिनका पत्रावली फेरल कुमार की फाकर नंबर से कम है एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट लेख गण्डरी में जाते निवेदन आज दिनांक 31-1-2024 को मरे द्वारा इसे न्यायालय में सुनाया गया।



नरेश कुंवर

अति. जिला कलक्टर

दौसा (राज.)



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official